ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 74-76

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

जनपद झांसी की अनुसूचित जाति की महिलाओं के पारिवारिक सदस्यों के साथ अन्तः सम्बन्ध

डॉ0 आशीष गौतम
असिस्टेन्ट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय, पुवायां, शाहजहाँपुर (उ0प्र0) भारत

Received-14.10.2023, Revised-20.10.2023, Accepted-25.10.2023 E-mail: drskpal.bog@gmail.com

सारांशः ***प्रायः यह देखा गया है कि भावनात्मक या संवेगात्मक पराश्रयता महिलाओं को साथ रहने को प्रेरित ही नहीं करती अपितु बाध्य भी करती है। नगरीकरण की प्रक्रिया एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण नगरीय जीवन ने परम्परागत संयुक्त परिवार के रूप में रहना दुर्लभ होता जा रहा है। यह भी देखा गया है कि ऐसी अनुसूचित जाति महिलाओं की अपने बच्चों से भावनात्मक सम्बद्धता अधिक होती है जो अपने माता–पिता से किन्हीं कारणों से अधिक प्यार–दुलार नहीं पा सकीं। इस तथ्य का संज्ञान करने हेतु चयनित उत्तरदाताओं से उनके अमूल्य विचार पूछे गये। प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या– 1 में दर्शाया गया है।***

कुंजीभूत शब्द– भावनात्मक या संवेगात्मक पराश्रयता, नगरीकरण, भौतिकवादी दृष्टिकोण,परम्परागत संयुक्त परिवार, अमूल्य विचार।

तालिका संख्या– 1

सन्तानों से भावनात्मक सम्बद्धता की स्थिति

भावनात्मक सम्बद्धता	आवृत्ति	प्रतिशत
बच्चे अलग रहते हैं	219	73.00
बच्चे साथ रहते हैं	81	27.00
कुल योग	300	100.00

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि 73 प्रतिशत अनुसूचित जाति महिलाएं यह स्पष्ट करती है कि वे अपने विवाहित बच्चों से अलग रहती है, क्योंकि आवासीय सुविधा सुलभ नहीं है। कुछ बच्चें रोजी–रोटी की तलाश में अन्यत्र जाकर बस गये है जो कभी–कभी आते–जाते रहते हैं। इसके विपरीत 27 प्रतिशत उत्तरदाता जो यह मानती हैं कि उनके अधिकांश अविवाहित बच्चें एवं कुछ विवाहित बच्चें उनके साथ ही रहते हैं।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति महिलाएं जनसंख्या वृद्धि एवं नौकरी के कारण अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाती हैं।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कुछ सूचनादाता अन्धविश्वासी एवं परिवारवादी विचारधाराएं की कट्टर समर्थक हैं, वे यह मानती हैं कि जिस घर में वे कुछ साल पूर्व बहू के रूप में आयीं और गृहणी के रूप में जीवन व्यतीत किया वे उस आवास को किसी भी कीमत में छोड़ नहीं सकती। कुछ अनुसूचित जाति उत्तरदाता ऐसी भी हैं जो अपने पति के साथ ही रहती हैं, किन्तु परिजनों के साथ जीवन की सुख सुविधाओं का भरपूर आनन्द प्राप्त करती हैं।

जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवासीय समस्या के निदान हेतु नवीन आवास बनवाकर उनमें रहना अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है। साथ ही ऐसे नवनिर्मित भवनों में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये कोई न कोई जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी की गई है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ रहना संभव नहीं हो पा रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अनुसूचित जाति महिलाओं की संतानों से संवेगात्मक संबद्धता प्रवृत्ति से संयुक्त परिवार जैसी है मात्र आवासीय स्थिति अलग–अलग या व्यवस्था मूलक है।

बहुत से ऐसे सन्दर्भ भी अवलोकित किये गये हैं, कि अनुसूचित जाति महिलाओं के विवाहित बच्चे दूसरे शहरों में नौकरी करते हैं। जिससे वे अपने माता–पिता के साथ नहीं रह पाते हैं, वे यथाशक्ति अपने किसी भाई या बहन को ही अपने साथ रखते हैं लेकिन कुछ विशेष त्योहारों या विवाह आदि के अवसर पर वे अपने पैतृक आवास में आकर पारिवारिक संगठन, एकता व भाईचारे की स्थितियों को मजबूत करते रहते हैं, ऐसे बहुत कम संदर्भ हैं कुछ बच्चें नाराज होकर अपने माता–पिता को उनके भाग्य पर छोड़कर अलग रहना पसन्द करते हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी उत्तरदाता है, जिन्होनें बताया कि पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा हो जाने पर दूसरे नगरों में बसने वाले बच्चों ने अपनी सम्पत्ति को बेचकर माता–पिता से हमेशा के लिये अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ प्रगतिशील परिवार की अनुसूचित जाति महिलाओं ने अपने पति की इच्छा से जानबूझकर अपने सास–ससुर व अन्य परिजनों से अलग रहना ही श्रेष्ठकर माना है। इनके साथ मात्र इनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। इससे उनकी परम्परागत मान–प्रतिष्ठा अक्षुण्य बनी रहती है।

आवश्यकतानुसार वे परिजनों के पास जाकर अपनी निकटता को प्रदर्शित भी करती रहती हैं। अधिक उम्र अथवा वृद्ध उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वतंत्र रूप से रहने के कारण उनके विवाहित बच्चें, बहुओं आदि को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है वे जिस तरह से भी रहना चाहें, रह सकते हैं। उन पर अनावश्यक नियंत्रण, दबाव एवं हम वृद्धों का भार नहीं रहता है। इससे वे भी सुखी एवं हम लोग भी सुखी रहते हैं। उनका मानना है कि विवाह के उपरान्त बच्चें नासमझ नहीं रहते प्रत्युत अपना अच्छा–बुरा ठीक ढंग से

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

समझते हैं। अतः उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिससे वे जिस तरह चाहें अपने परिवारीजनों का मार्गदर्शन करें। बच्चों को पढ़ाये–लिखायें और उन्हें आत्म निर्भर बनायें। इनका यह भी मानना है कि ऐसे परिवार जहाँ वैचारिक मतभेदों से तनाव, ईर्ष्या, संघर्ष, कुण्ठा जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो, तो ऐसे परिवार में एक साथ रहना नरक तुल्य होता है। इस तरह की स्थितियों ने अनुसूचित जाति महिलाओं की संतानों से भावनात्मक सम्बद्धता की स्थिति को समझने में सहायता की है।

अलग रहने वाले बच्चों से अनूसूचित जातीय महिलाओं के सम्बन्धों की प्रवृति– सम्बन्धों की भावनात्मक सम्बद्धता जानने के उपरान्त यह जानने का प्रयास किया गया कि अनुसूचित जाति महिलाओं के जो बच्चें या परिवारीजन अलग रहते हैं, उनके साथ सम्बन्धों की क्या स्थिति है? अर्थात सम्बन्ध अभी भी अस्तित्व में हैं या सम्बन्ध लगभग समाप्त हो गये हैं? इस विषय में सूचनादाताओं से उनके विचार जानने का प्रयत्न किया गया। प्राप्त विचारों को तालिका संख्या– 2 में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका संख्या–2

अलग रहने वाले परिवारीजनों के सम्बन्धों की प्रवृति का विवरण

सम्बन्धों की प्रवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत
सम्बन्ध अभी भी अस्तित्व में है	276	92.00
सम्बन्ध लगभग समाप्त हो गये हैं	24	08.00
कुल योग	300	100.00

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 92 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करती है कि उनसे अलग रहने वाले परिवारीजनों से उनके सम्बन्ध अभी भी बने हुये हैं। मात्र 8 प्रतिशत सूचनादाता यह व्यक्त करती है कि अब उनके सम्बन्ध लगभग प्रायः समाप्त से हैं। उन्होंने बड़ें दुःखी मन से कहा कि अब कोई आशा नहीं है और न ही हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भविष्य में ऐसा भी होगा।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति महिलाएं अपने विवाहित बच्चों से अलग रहने को अधिक उपयोगी मानती हैं तथा आपसी समझ के आधार पर अलग रहते हुए भी सम्बन्धों को बनाये रखना श्रेयष्कर है।

सम्बन्ध बनाये रखने हेतु प्रयुक्त तकनीकों का विवरण– आज के जटिल एवं व्यस्त जीवन में किसी भी व्यक्ति से स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करना एवं उन्हें निरन्तर जीवित बनाये रखना सामान्य व्यक्ति के लिये अत्यन्त कठिन कार्य है। अतः यह प्रयास किया गया है कि उन उपायों (तकनीकों) को समझना उपयोगी होगा, जिनका प्रयोग करके अनुसूचित जाति महिलाएं अपने से अलग रहने वाले परिवारीजनों से भी सम्बन्ध बनाये हुये हैं। इसी तथ्य को जानने के लिये सम्बन्धित सूचनादाताओं से तथ्य एकत्रित किये गये। एकत्रित तथ्यों को तालिका संख्या–3 में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका संख्या–3

परिवारीजनों से सम्बन्ध रखने हेतु प्रयुक्त तकनीक

प्रयुक्त तकनीक	आवृत्ति	प्रतिशत
विवाहित आदि के विषय में उचित सुझाव प्रदत्त करे	210	70.00
परस्पर एक दूसरे की सहायता से	243	81.00
परस्पर एक दूसरे के यहाँ भोजन करके	96	32.00
परिवारीजनों की यथाशक्ति आर्थिक सहायता करके	60	20.00

नोट– खुला प्रश्न होने के कारण योग नहीं होगा।

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि 81 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है कि परस्पर एक दूसरे की सहायता करते रहने पर सम्बन्धों में स्थिरता व मधुरता बनी रहती है। एक दूसरे के विषय में जानकारी भी मिलती रहती है जो सम्बन्धों का स्थायित्व प्रदान करती है। 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता यह स्पष्ट करती हैं, कि विवाह आदि को तय करने एवं सम्बन्ध करने में बहुत सी ऐसी स्थितियाँ या परम्परायें होती हैं जिनमें एक–दूसरे के सुझाव अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। अतः अलग रहने वाले परिवारीजनों को इस विषय में सुझाव आदि प्रदत्त कर सम्बन्ध बनाये रखती है। इसके अतिरिक्त 32 प्रतिशत ऐसी वृद्ध उत्तरदाता यह स्वीकार करती हैं कि कभी–कभी तीज त्योहार या उत्सव आदि के अवसरों पर एक साथ मिल बैठकर भोजन करना आत्मीयता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिये अपने परिवारीजनों के यहाँ जाकर या बुलाये जाने पर भोजन करती रहती हैं और उन्हें भी अपने यहाँ बुलाकर भोजन आदि में सम्मिलित करती रहती हैं। मात्र 20 प्रतिशत ऐसी दयालु अनुसूचित जाति उत्तरदाता हैं, जो यह मानती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यदि परिवारीजनों की यथाशक्ति आर्थिक सहायता कर दी जाती है, तो वे लोग अधिक सम्मान व सेवा करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि परस्पर एक–दूसरें की सहायता करना एवं विवाह आदि अवसरों पर उचित सुझाव देना, अलग रहने वाले परिवारीजनों से स्थायित्व के सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

परिवारीजनों से सम्बन्ध समाप्त होने के कारणों का विवरण– यहाँ यह जानना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं को अपने परिवारीजनों से सम्बन्ध किन कारणों से समाप्त हो गये हैं। यही जानने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति महिलाओं से आग्रह किया गया कि जिनके सम्बन्ध समाप्त हो चुके हैं, वे उन कारणों या परिस्थितयों को स्पष्ट करें जो सम्बन्ध समाप्त करने में सबसे अधिक उत्तरदायी है। सूचनादाताओं द्वारा प्रदत्त तथ्यों को विश्लेषण हेतु तालिका संख्या– 4 में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका संख्या–4

सम्बन्ध समाप्त होने के कारणों का विवरण

कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
पैतृक सम्पत्ति का स्थायी बँटवारा होना	30	10.00
वैचारिक मतभेद होना	99	33.00
बच्चों का अधिक दूर जाकर रहना	150	50.00
बच्चों का कोई लगाव न होना	15	05.00
माँ/पिता का दूसरी शादी कर लेना	06	02.00
कुल योग	300	100.00

तालिका से ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति उत्तरदाता यह मानती हैं कि बच्चों के नौकरी आदि के कारण अधिक दूर जाकर बस जाने के कारण अब उनका आना–जाना सम्भव नहीं हो पाता है, जबकि 33 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करती हैं कि उनके बच्चों से उनके वैचारिक मतभेद इतने अधिक बढ़ गये हैं कि अब सम्बन्ध रखना सम्भव नहीं है। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पैतृक सम्पत्ति के विभाजन को ही सम्बन्धों के समाप्त होने का आधार मानती है। 5 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया कि बच्चों का हम लोगों के प्रति अब कोई लगाव ही नहीं रहा, जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सास/ससुर द्वारा दूसरा विवाह कर लेने को सम्बन्ध समाप्त होने का कारण बताया।

अतः कहा जा सकता है कि बच्चों का दूर जाकर रहना एवं वैचारिक मतभेद तथा पारिवारिक सम्पत्ति का विभाजन ही मूल रूप से सम्बन्ध समाप्त होने का प्रमुख कारण रहा है।

अध्ययन में शामिल अनुसूचित जाति उत्तरदाताओं के पारिवारिक संरचना सम्बन्धी विश्लेषण से विदित होता है कि ये महिलाएं अधिक मात्रा में अपने परिवारीजनों के सम्पर्क में रहती हैं तथा अन्तः क्रियाएं सम्पन्न करती रहती हैं। ऐसे परिवारीजन जो विभिन्न कारणों से अन्यन्त्र जाकर बस गये हैं वे भी समय–समय पर आते–जाते रहते हैं। इस कारण सामान्यतया अलग होने के बावजूद भी सम्बन्धों में जीवंतता बनी हुयी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Gupta, A.R. : Women in Hindu society. A study of Tradition and transitation D.K. Publishers, New Delhi.
2. Oak , A.W. : Study of women in Education . D.K. Publishers New Delhi.
3. Handwerker : Women's power and social Revolution sage Publication, New Delhi
4. Singh, M.P. : Women's oppression men Responsible, D.K. Publishers, New Delhi.
5. Rao, N.J. Usha : Women in developing society D.K. Publishers, New Delhi.
6. Sharma, P. : Family and welfare programme in India Deep and Deep D.K. Publishing, New Delhi.
7. Usha S.K. : Women and Socialisation A Study of their status and rule power castes of Ahemdabad D.K. Publishers, New Delhi.
8. Vidyalata : Developing Rural women 1990 Indian Books and Periodical, New Delhi.
9. Mahajan, V.S. : Women's Contribution to India's and Social Development Deep and Deep Publication, New Delhi.
10. जैन, देवकी : इण्डियन वूमेन, पब्लिकेशन डिवीजन, मिन्स्ट्री ऑफ इन्फारमेशन एण्ड बोर्डकास्टिंग गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया, पटियाला हाउस, नई दिल्ली।
11. नाटाणी, प्रकाश नारायण : मानवाधिकार एवं महिलाएँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दल्ली।
12. यादव, संतोष : उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति डी. के. प्रकाशन नई दिल्ली।
13. व्होरा, आशारानी : भारतीय नारीः दशा–दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

*****